प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तेरह'

[10/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 4253]

परिशिष्ट–1
(पृष्ठ क 1 से 2)

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 4253 के प्रशनांश क का परिशिष्ट – 1

प्रश्न दिनाक : 10 / 03 / 2017.03.01 माननीय विधायक श्री रामसिंह यादव

मातृ मृत्यु दर नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्न योजनाऐं एवं कार्यवाही संचालित है–

- गर्भावस्था का पता चलते ही समस्त महिलाओं का प्रथम त्रैमास में पंजीयन किया जाता हैं।
- समस्त गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकधाम हेतु आयरन की गोली एवं एलबेन्डाज़ाल गोली का वितरण किया जाता हैं।
- गंभीर एनीमिया के प्रकरणो में संस्था स्तर पर आयरन सुकोज एवं रक्ताधान की सुविधा।
- सुरक्षित प्रसव कराने हेतु वर्ष 2016–17 में 1341 डिलेवरी पाईंट्स क्रियाशील किये गये।
- वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर तक कुल 47 ब्लड बैंक एवं 71 ब्लड स्टोरेज यूनिट क्रियाशील है।
- प्रदेश में सुरक्षित गर्भपात की सेवाऐं प्रदाय कराने हेतु 472 शासकीय एवं 419 स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत निजी एमटीपी सेंटर संचालित है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में प्रसव कराने पर गर्भवती महिलाओं को निशुल्क औषधि, सामग्री, जांचें, भोजन एवं परिवहन सुविधाऐं प्रदान की जा रही है।
- प्रदेश में प्रसव के दौरान एवं प्रसव के तुरंत उपरांत प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता को सुदृढ करने हेतु डिलेवरी पाईंट पर पदस्थ नर्सिंग स्टॉफ में से चयनित स्टॉफ नर्स को नर्सिंग मेंटर्स के रूप में चिन्हित कर सर्पोटिव सुपरविजन किया जा रहा है।
- प्रत्येक मातृ मृत्यु प्रकरण की समुदाय तथा संस्था स्तर पर समीक्षा की जा रही है।
- गंभीर एनीमिया तथा एक्लेम्पिशया के प्रकरणों की बैक ट्रैकिंग की जा रही है।
- 17 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में प्रति विकासखंड 2 ए.एन.एम. मेंटर्स के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समीक्षा एवं सर्पोटिव सुपरविजन किया जा रहा है।
- प्रदेश की समस्त महिलाओं (गर्भवती, अन्य आयु वर्ग एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाऐं) को ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य जांच एवं उपचार प्रदान करने हेतु दिनांक 11 अप्रैल 2016 से महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं की जांच की गई।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास की गर्भवती महिलाओं की एक जांच चिकित्सक द्वारा कराई जा रही है। अभियान अंतर्गत निजी क्षेत्र के चिकित्सकों की सेवाऐं भी ली जा रही है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

उप-संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

शिशु मृत्यु कम करने के लिये विभाग की योजनायें –

1) **संस्था आधारित योजनाएं –**

- समस्त जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाईयों की क्रियाशीलता
- उप जिला स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाईयों की क्रियाशीलता
- परिवार केन्द्रित देखभाल अंतर्गत शिशु के स्थिरीकरण के पश्चात माता/परिजनों को नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में प्रवेश प्रक्रिया का पालन करते हुए नवजात शिशु की देखभाल में दक्ष किया जाता है। माँ/परिजनों को शिशु को उठाना, दूध पिलाना, कंगारू पद्धति से देखभाल करना, शिशु की सफाई करना इत्यादि सिखाया जाता है। परामर्श पश्चात मातायें बीमार शिशु की देखभाल में स्वयं को सक्षम महसूस करती हैं तथा घर पर नवजात शिशु की बेहतर देखभाल करती हैं।
- **पिडियाट्रिक इमरजेन्सी ट्राइऐज एवं ट्रीटमेंट यूनिटः–** गंभीर रूप से बीमार बच्चों के जिला चिकित्सालय पहुँचने पर Point of Use पर आवश्यक उपकरण, दवाईयाँ, सामग्री एवं प्रशिक्षित चिकित्सक/स्टाफ नर्सेस तत्काल उपचार प्रदान करने हेतु उपलब्ध होते हैं।
- **बाल्य गहन चिकित्सा इकाई :–** भोपाल, छिन्दवाड़ा, रतलाम, गुना, मुरैना एवं दतिया में बाल्य गहन चिकित्सा इकाईयां क्रियाशील हैं।
- **सघन दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा** दिनांक 11 जुलाई से 06 अगस्त, 2016 तक आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के कुल 9840749 बच्चों में से 9125879 (92.73%) बच्चों को ओ.आर.एस. पैकेट प्रदायित किये गये।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** के अंतर्गत एक वर्ष तक की आयु के शिशुओं हेतु निःशुल्क उपचार, दवाईयां–सामग्री, आहार, परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है।
- नवजात शिशु पुनर्जीवन प्रक्रिया में दक्षता हेतु प्रसव केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सकों एवं पैरा–मेडिकल स्टॉफ को नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण दिया गया।

2) **समुदाय आधारित योजनाएं –**

- **गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल** जन्म से 28 दिन अत्यंत संवेदनशील समयावधि है। इस अवधि में शिशुओं की मृत्यु की सर्वाधिक संभावना होती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत प्रसव में 6 तथा घर पर प्रसव होने पर 7 गृहभेंट दी जाती है। जन्म के पश्चात् 1, 3, 7, 14, 21, 24, 28 एवं 42वें दिन आशा द्वारा गृहभेंट दी जाती है।
- **हाईरिस्क शिशु ट्रेकिंग फॉलोअप** – शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु समुदाय में आशा द्वारा 3, 6, 9 एवं 12 माह की आयु में 2.5 किलो ग्राम से कम जन्म वजन एवं एस.एन.सी.यू. से डिस्चोर्ज किये गये शिशुओं को गृहभेंट दी जाती है। टीकाकरण, स्वच्छता, दस्त में जिंक/ओ.आर.एस. का प्रयोग, निमोनिया की पहचान, स्तनपान, पूरक आहार तथा शिशु के विकास में संवाद का महत्व आदि विषयों पर जानकारी साझा की जाती है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4253 के प्रश्नांश 'ख' का परिशिष्ट – 2

प्रश्न दिनांक : 10/03/2017

प्रश्नकर्ता :– श्री रामसिंह यादव

कुपोषण की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी

- माँ कार्यक्रम : शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए माँ का असीम आशीर्वाद – माँ कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चे के जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान, जन्म से 6 माह तक केवल स्तनपान, शिशु के 6 माह पूरे होने पर संपूरक आहार देना प्रारंभ करना एवं शिशु के 2 वर्ष पूर्ण होने तक स्तनपान जारी रखे जाने हेतु जागरूकता व अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही है।
- प्रदेश में शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी को ध्यान में रखते हुए समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संस्थाओं में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर एवं स्टॉफ नर्सों को एफ.आई.एम.एन.सी.आई. प्रशिक्षण दिया गया।
- आई.डी.सी.एफ :– प्रत्येक वर्ष माह जुलाई–अगस्त में सघन दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत समस्त 5 वर्ष से छोटे बच्चों के परिवारों को दस्त प्रकरणों के बचाव हेतु ओ.आर.एस पैकट एवं जिंक की गोलियां प्रदाय की जाती है।
- बाल शक्ति योजना :– प्रदेश में 315 पोषण पुनर्वास केन्द्र एवं 3 गंभीर कुपोषण प्रबंधन ईकाई संचालित है जिनमें 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती कर डब्ल्यू.एच.ओ/आई.ए.पी मानक अनुसार उपचारित किया जाता है।
- नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम :– 6 माह से 60 माह एवं 10 से 19 वर्षीय किशोरवय बच्चों में एनीमिया की रोकथाम हेतु आयरन फोलिक एसिड सीरप एवं आयरन फोलिक एसिड गोलियों की उम्र आधारित खुराक दी जाती है।
- बाल सुरक्षा माह :– के अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुपूरण हेतु 9 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों को विटामिन–ए घोल पिलाया जाता है ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके।
- नेशनल डीवर्मिंग डे :– के अंतर्गत 1 वर्ष से 19 वर्षीय सभी बच्चों को वर्ष में 1 बार एल्बेण्डाजोल गोली खिलाई जाती है, ताकि कृमि संक्रमण जनित रक्ताल्पता की रोकथाम की जा सके।
- आई.वाय.सी.एफ. प्रशिक्षण :– मैदानी कार्यकर्ताओं जैसे–आशा एवं ए.एन.एम. को समुचित शिशु एवं बाल आहार संबंधी व्यवहार पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि स्तनपान संबंधी सामुदायिक व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाई जा सके।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश